



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932

No. 180]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 301(अ).—केन्द्रीय सरकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**भाग 1—प्रारंभिक**

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) अभिप्रेत है;
- (ख) “आंगनवाड़ी” से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ग) “नियत तारीख” से राजपत्र में यथा अधिसूचित वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है;
- (घ) “समुचित सरकार” से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, किसी संघ राज्यक्षेत्र (राज्य विधान-मंडल रहित) की सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) “जिला शिक्षा अधिकारी” से किसी जिले में प्राथमिक शिक्षा के लिए भारसाधक समुचित सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) “छात्र-शिक्षक संचित अभिलेख” से विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख अभिप्रेत है;
- (छ) “विद्यालय योजना निर्माण” से सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है ।

- (2) इन नियमों में “प्ररूपों” के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इसके परिशिष्ट 1 में उपवर्णित प्ररूपों के प्रति निर्देश हैं ।
- (3) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

### भाग 2—विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य—(1) गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में नियत तारीख के छह मास के भीतर एक विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) का गठन किया जाएगा और प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

(2) उक्त समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता-पिताओं या संरक्षकों में से होगा ।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा, अर्थात् :—

(क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ;

(ख) विद्यालय के अध्यापकों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा ;

(ग) स्थानीय शिक्षाविदों या विद्यालय के बालक में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय उक्त समिति में माता-पिताओं द्वारा किया जाएगा ।

(4) उक्त समिति अपने क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी ; विद्यालय का प्रधान अध्यापक, या जहाँ विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है, वहाँ विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, उक्त समिति का पदेन सदस्य-संयोजक होगा ।

(5) उक्त समिति मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(6) उक्त समिति, धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में संसूचित करना ;

(ख) धारा 24 के खंड (क) और खंड (ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;

(ग) इस बात को नानिटर करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर-शैक्षिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए ;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना ;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना ;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना ;

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करना ;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना ;

(इ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मानिटर करना ;

(ज) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना ।

(7) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वाहन करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक् खाते में रखा जाएगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी ।

(8) उपनियम (6) के खंड (अ) में और उपनियम (7) में निर्दिष्ट लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उनके तैयार किए जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना—(1) विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होगी ।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा-वार नामांकन के प्राक्कलन ;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा 1 से कक्षा 5 और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए पृथक् रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की अपेक्षा ;

(ग) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, अतिरिक्त अवसंरचना और उपकरणों की भौतिक अपेक्षा ;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के संबंध में वित्तीय आवश्यकता, जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और बर्तियों जैसी बालकों की हकदारी, तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त अपेक्षा भी है ।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

### भाग 3—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

5. विशेष प्रशिक्षण—(1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात् :—

(क) विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा ;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा ;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा ;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके ।

#### भाग 4—केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं—(1) आसपास के क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्नलिखित होंगी,—

(क) कक्षा 1 से कक्षा 5 के बालकों के संबंध में, विद्यालय आसपास की एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा ;

(ख) कक्षा 6 से कक्षा 8 के बालकों के संबंध में, विद्यालय आसपास की तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा ।

(2) जहां कहीं अपेक्षित हो, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी कक्षा 1 से कक्षा 5 वाले विद्यमान विद्यालयों को कक्षा 6 से कक्षा 8 को सम्मिलित करने के लिए प्रोन्नत कर सकेगी और ऐसे विद्यालयों के संबंध में, जो कक्षा 6 से आरंभ होते हैं, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, कक्षा 1 से कक्षा 5 जोड़ने का प्रयास करेगा ।

(3) कठिन भू-भाग, भूस्खलनों, बाढ़ के जोखिम, कम सड़कों वाले स्थानों में और साधारणतया, युवा बालकों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक पहुंचने में खतरे वाले स्थानों में समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसी रीति में विद्यालय अवस्थित करेगा, जिससे कि उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचा जा सके ।

(4) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पता लगाए गए ऐसे लघु पुरवों के बालकों के लिए, जहां उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आसपास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उक्त नियम में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं के शिथिलीकरण में, विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा ।

(5) सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे स्थानों में 6-14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, आसपास के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार कर सकेगा ।

(6) स्थानीय प्राधिकारी आसपास के ऐसे विद्यालय (विद्यालयों) का पता लगाएगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है, और प्रत्येक आवास के लिए ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा ।

(7) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के संबंध में, जो उन्हें विद्यालय में पहुंचने से रोकती है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेगा ।

(8) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रतिबाधित न हो ।

7. केंद्रीय सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व—(1) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, नियत तारीख से एक मास के भीतर पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करेगी, जिन्हें प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उसके कार्यक्रम अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं ।

(3) केन्द्रीय सरकार नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, राज्य सरकारों से परामर्श करेगी और और उस व्यय की, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में वह राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगी, प्रतिशतता का अवधारण करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, नियत तारीख से एक मास के भीतर, वित्त आयोग को निर्देश कराएगी और प्रवक्ताओं को पुनरीक्षित किए जाने के प्रत्येक समय पर इसी प्रकार निर्देश कराएगी:

परन्तु यदि किसी विशिष्ट निर्देश के समय कोई वित्त आयोग विद्यमान नहीं है तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए एक अनुकूलनी तंत्र का गठन कर सकेगी।

**8. केन्द्रीय सरकार का शैक्षिक उत्तरदायित्व—**(1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे के विकास के लिए नियत तारीख से एक मास के भीतर किसी शैक्षिक प्राधिकारी को अधिसूचित करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों से परामर्श करके, जो वह आवश्यक समझे, अधिनियम की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों के संबंध में अध्यापकों के सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण का उपबंध करने हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को समर्थ बनाने के लिए कोई स्कीम (स्कीम) तैयार कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण के मानकों के अनुसार कोई मानिटररी तंत्र भी है।

**9. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व—**(1) धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा 12 की उपधारा (1) की खंड (ग) के अनुसार धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में उपबंधित किए गए अनुसार निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन-सामग्रियों और वर्दियों के लिए हकदार होगा :

परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा।

**स्पष्टीकरण—**उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, वह उल्लेखनीय है कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक और धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के संबंध में निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (ii) और धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय का होगा।

(2) आस-पास के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय की योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सहित सभी बालकों की, नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष, पहचान करेगा।

(3) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के अध्याधीन नहीं हो।

(4) धारा 8 के खंड (ग) और धारा 9 के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी कमजोर वर्ग के किसी बालक और अलाभप्रद समूह के किसी बालक को कक्षा में, दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में तथा शौचालय या कक्षाओं की सफाई में अलग न रखा जाए या उसके विरुद्ध विभेद न किया जाए।

**10. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना—**(1) स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण द्वारा, उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाएगा ।

(3) उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जाएगा और उसका उपयोग धारा 9 के खंड (ड) के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

(4) उक्त उपनियम में निर्दिष्ट अभिलेख में, प्रत्येक बालक के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

- (क) नाम, लिंग, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान ;
- (ख) माता-पिता या संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय ;
- (ग) वह पूर्व प्राथमिक विद्यालय/ आंगनबाड़ी केन्द्र, जहां बालक (छह वर्ष की आयु तक) उपस्थित रहा है ;
- (घ) प्राथमिक विद्यालय, जहां बालक को प्रवेश दिया जाता है ;
- (ङ) बालक का वर्तमान पता ;
- (च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा है (6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए) और यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में शिक्षा जारी नहीं रहती है तो ऐसे जारी न रहने का कारण ;
- (छ) क्या बालक कमजोर वर्ग का है ;
- (ज) क्या बालक किसी अलाभप्रद समूह का है ;
- (झ) क्या बालक (i) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या; (ii) आयु अनुसार समुचित प्रवेश ; और (iii) निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है ।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों में नामांकित बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से संप्रदर्शित किए गए हैं ।

### भाग 5-विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

11. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश—(1) धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालकों में अन्य बालकों से पृथक् किया जाएगा न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जाएंगी ।

(2) धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालकों के साथ पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेल-कूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के संबंध में, किसी भी रीति में, शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा ।

(3) नियम 6 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आस-पास का क्षेत्र या सीमाएं धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार दिए गए प्रवेशों को लागू होंगी :

परन्तु विद्यालय धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन क्षेत्रों या सीमाओं का विस्तार कर सकेगा ।

12. समुचित सरकार द्वारा प्रति-बालक-व्यय की प्रतिपूर्ति—(1) समुचित सरकार द्वारा, सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित, धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों

की बाबत प्रारंभिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों और केन्द्रीय सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, समुचित सरकार द्वारा उपगत किया गया प्रति-बालक-व्यय होगा।

**स्पष्टीकरण**—प्रति-बालक-व्यय का अवधारण करने के लिए, धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों पर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

**13. आयु के सबूत के रूप में दस्तावेज**—जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रामाणीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा—

(क) अस्पताल या सहायक नर्स और दाईं रजिस्टर अभिलेख;

(ख) आगनबाड़ी अभिलेख ;

(ग) माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

**14. प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि**—(1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहां किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

**15. विद्यालय को मान्यता**—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित किया गया, केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वधीन या नियंत्राधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय अधिनियम के प्रारंभ के तीन मास की अवधि के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अनुसूची में विनिर्दिष्ट संनियमों और मानकों के उसके द्वारा अनुपालन किए जाने या अन्यथा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के संबंध में प्ररूप सं० 1 में एक स्वघोषणा करेगा, अर्थात् :—

(क) विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ;

(ख) विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्ति-समूह या व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ;

(ग) विद्यालय संविधान में प्रतिस्थापित आदर्शों के अनुरूप है।

(घ) विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

(ङ) विद्यालय समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध है ;

(च) विद्यालय समय-समय पर ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करता है, जिनकी अपेक्षा की जाए, और समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करते हैं जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए ;

(2) प्ररूप 1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी उपनियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए स्वतः घोषणा प्राप्त होने के तीन मास के भीतर उन विद्यालयों का स्थल पर निरीक्षण कराएगा जो प्ररूप सं० 1 में दावा करते हैं ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत की जाएगी और विद्यालयों को मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्ररूप 2 में मान्यता प्रदान की जाएगी ।

(5) वे विद्यालय जो उपनियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय के लोक आदेश के माध्यम से सूचीबद्ध किए जाएंगे ; ऐसे विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से इस प्रकार अगले ढाई वर्ष के भीतर किसी भी समय मान्यता प्रदान करने के लिए स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकेंगे ताकि ऐसी अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से अधिक न हो ।

(6) वे विद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर उपनियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं कार्य करना बंद कर देंगे ।

(7) केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् की गई है वे इस नियम के अधीन मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के क्रम में उपनियम (1) में उल्लिखित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप होंगे ।

**16. विद्यालय की मान्यता वापस लेना-** (1) जहां जिला शिक्षा अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) स्वःप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह विश्वास करने का कारण रखता है कि नियम 15 के अधीन मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी निम्नलिखित रीति में कार्य करेगा :-



(क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना जारी करना और उससे एक मास के भीतर स्पष्टीकरण मांगना ;

(ख) स्पष्टीकरण को समाधानप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में उक्त अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कराएगा जाएगा जो तीन या पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें शिक्षाविद्, सिविल समाज के प्रतिनिधि, मीडिया और सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो सम्यक् जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट मान्यता के जारी रहने या उसे वापस लेने के लिए अपनी सिफारिशों सहित उक्त अधिकारी को प्रस्तुत करे ;

(ग) उक्त अधिकारी समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त होने पर मान्यता वापस लेने के लिए आदेश पारित कर सकेगा :

परंतु उक्त अधिकारी द्वारा मान्यता वापस लेने का ऐसा कोई आदेश विद्यालय को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उक्त अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश समुचित सरकार के अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) उक्त अधिकारी द्वारा पारित मान्यता वापस लेने का आदेश तुरंत अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा और वह निकट के ऐसे विद्यालयों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें उस विद्यालय के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा ।

#### भाग 6- अध्यापक

17. न्यूनतम अर्हताएं- (1) केंद्रीय सरकार, नियत तारीख के एक मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं अधिककथित करने हेतु एक शैक्षणिक प्राधिकारी को अधिसूचित करेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर किसी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं अधिककथित करेगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिककथित न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खंड (द) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू होंगी ।

18. न्यूनतम अर्हताओं का शिथिलीकरण- (1) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र इस अधिनियम के प्रारंभ से छह मास के भीतर धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के लिए अनुसूची में मानदंडों के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता का प्राक्कलन करेंगे ।

(2) जहां किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या नियम 17 के उपनियम (2) में यथाअधिसूचित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन प्राक्कलित अध्यापकों की आवश्यकता के अनुपात में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र इस अधिनियम के प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर केंद्रीय सरकार से विहित न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल करने के लिए अनुरोध करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अनुरोध की परीक्षा करेगी और अधिसूचना द्वारा, न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल कर सकेगी ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना में शिथिलीकरण की प्रकृति और तीन वर्ष से अनधिक की समयावधि किन्तु जो अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष के परे नहीं होगी, विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसके भीतर शिथिल की गई शर्तों के अधीन नियुक्त किए गए अध्यापक धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं को अर्जित करेंगे ।

(5) इस अधिनियम के प्रारंभ से छह मास के पश्चात् किसी विद्यालय के लिए अध्यापक की कोई नियुक्ति ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जिसके पास नियम 17 के उपनियम (2) में अधिसूचित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, उपनियम (3) में निर्दिष्ट शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना नहीं की जाएगी ।

(6) अधिनियम के प्रारंभ के छह मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को कम से कम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र या उसके समतुल्य से अन्यून शैक्षणिक अर्हता धारण करनी चाहिए ।

19. न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना- (1) राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उपखंड (i) में निर्दिष्ट विद्यालयों में सभी अध्यापकों और धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित विद्यालयों में सभी अध्यापकों द्वारा, जिनके पास धारा 17 की उपधारा (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ।

(2) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय या धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन नहीं है और उनके द्वारा प्रबंधित नहीं है, में किसी ऐसे अध्यापक के लिए, जिनके पास अधिनियम के

प्रारंभ के समय धारा 17 की उपधारा (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

**20. अध्यापकों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें -** (1) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी अध्यापकों का वृत्तिक और स्थायी संवर्ग सृजित करने के क्रम में उनके स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा वेतन और भत्ते अधिसूचित करेगा।

(2) विशिष्टतया और उपनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा के निबंधनों और शर्तों में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :-

(क) अध्यापकों की विद्यालय प्रबंध समिति को जवाबदेही ;

(ख) शैक्षणिक वृत्ति में अध्यापकों के दीर्घावधि तन्त्र बने रहने के समर्थकारी उपबंध।

(3) सभी अध्यापकों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सीय सुविधाएं, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विहित फायदे, वैसी ही अर्हता, कार्य और अनुभव के लिए बराबर होंगे।

**21. अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य-** (1) अध्यापक एक फाइल रखेंगे जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य संचयी अभिलेख होगा जो प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने के लिए प्रमाणपत्र देने हेतु आधार होगा।

(2) अध्यापक, धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ड) तक में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा :

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना ;

(ख) पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण माञ्जुल तथा पाठ्य पुस्तक विकास में भाग लेना।

**22. शिष्य-अध्यापक अनुपात बनाए रखना-** (1) किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, नियत तारीख के तीन मास की अवधि के भीतर अधिसूचित की जाएगी :

परंतु यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों की पुनः तैनाती की जाएगी।

(2) यदि केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा/होगी।

#### भाग 7- पाठ्यचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना

**23. शैक्षणिक प्राधिकारी-** (1) केंद्रीय सरकार, नियत तारीख के एक मास के भीतर धारा 29 के प्रयोजनों के लिए एक शैक्षणिक प्राधिकारी को अधिसूचित करेगी।

(2) पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी,-

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा ;

(ख) सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित करेगा ; और

(ग) निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी नियमित आधार पर संपूर्ण विद्यालय क्वालिटी निर्धारण की प्रक्रिया डिजाइन और कार्यान्वित करेगा।

**24. प्रमाणपत्र प्रदान करना -** (1) प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाणपत्र विद्यालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के एक मास के भीतर जारी किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अंतर्विष्ट होगा।

#### भाग- 8 बाल अधिकारों का संरक्षण

**25. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन-** केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में संसाधन सहायता उपलब्ध कराएगी।

**26. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति-** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में परिवादों को रजिस्टर करने के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना करेगा जो उसके द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मानीटर की जा सकेगी।

**27. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन-** (1) वह समुचित सरकार जिसका कोई राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं है, तुरंत ऐसे आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाएगी।

(2) जब तक समुचित सरकार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करे तब तक वह अधिनियम के प्रारंभ के छह मास के भीतर धारा 31 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के रूप में ज्ञात एक अंतरिम प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् आरईपीए कहा गया है) का गठन करेगी या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगी, जो भी पूर्वतर हो।

(3) शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण (आरईपीए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो उच्च शैक्षणिक ख्याति का व्यक्ति है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या जिसने बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है ; और

(ख) दो सदस्य, जिनमें से निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक महिला होगी और वे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो प्रख्यात, योग्य, विश्वसनीय, गणमान्य हैं और जिनको निम्नलिखित में अनुभव है,—

(i) शिक्षा ;

(ii) बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल विकास ;

(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या निम्नवर्गीय या निःशक्त बाल देखभाल ;

(iv) बाल श्रमिक उन्मूलन या व्यथित बच्चों के साथ कार्य करना ;

(v) बाल मनोविज्ञान या सामाजिक शास्त्र ;

(vi) विधिक वृत्ति ।

(4) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 जहां तक उनका संबंध निबंधनों और शर्तों से है यथावश्यक परिवर्तन सहित आरईपीए के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को लागू होंगे ।

(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तुरंत पश्चात् आरईपीए के सभी अभिलेख और आस्तियां उसे अंतरित हो जाएंगी ।

(6) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आरईपीए अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट विषयों पर भी कार्रवाई कर सकेगा ।

(7) समुचित सरकार, यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आरईपीए को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में संसाधन सहायता उपलब्ध कराएगी ।

28. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति- यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् आरईपीए कहा गया

है) एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना करेगा जो अधिनियम के अधीन-बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में परिवादों को रजिस्टर करेगी जिसे उसके द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मानीटर किया जा सकेगा ।

29. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन- (1) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी, जो निम्नानुसार हैं-

(क) कम से कम तीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं ;

(ख) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिनके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो;

(ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा ;

(घ) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है ;

(ङ) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:-

- i. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- ii. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- iii. कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग और प्रशासन विश्वविद्यालय
- iv. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
- v. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(च) सभी सदस्यों में एक तिहाई महिलाएँ होंगी ।

(छ) अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रभारी संयुक्त सचिव पदेन सदस्य सचिव होंगे और सचिवालयी सहायता स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी ।

(4) परिषद अन्य संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

30. राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कृत्य- (1) राष्ट्रीय सलाहकार समिति सलाहकार हैसियत में कृत्य करेगी।

(2) राष्ट्रीय सलाहकार समिति निम्नलिखित कृत्यों में से एक या अधिक का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) पुनर्विलोकन,

(i) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंड और मानक ;

(ii) अध्यापक निर्हरताओं और प्रशिक्षणों का अनुपालन ; और

(iii) धारा 29 का कार्यान्वयन ;

(ख) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्ययन और अनुसंधान आरंभ करना।

(ग) राज्य सलाहकार परिषदों के साथ समन्वयन करना।

(घ) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता उत्पन्न करने, अभियान चलाने, और सकारात्मक वातावरण तैयार करने में जनता और मीडिया तथा केंद्रीय सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

(3) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् उसके द्वारा किए गए पुनर्विलोकनों, अध्ययनों और अनुसंधान के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

31. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन - (1) राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) समुचित सरकार में विद्यालय शिक्षा का प्रभारी मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी, जो निम्नानुसार हैं—

(क) कम से कम तीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं ;

(ख) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिनके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो;

- (ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा ;
- (घ) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है ;
- (ङ) परिषद के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:-
- i. प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव
  - ii. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/राज्य शिक्षा संस्थान के निदेशक
  - iii. प्रारंभिक शिक्षा के आयुक्त/निदेशक
  - iv. अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
- (च) सभी सदस्यों में एक तिहाई महिलाएँ होंगी।
- (छ) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान इस परिषद के पदेन सदस्य सचिव होंगे।
- (4) परिषद अन्य संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

[फा. सं. 1-8/2009-ईई 4।

अनिता कौल, संयुक्त सचिव

### परिशिष्ट

#### प्रारूप 1

### विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वःघोषणा-सह-आवेदन [नियम 15 का उपनियम (1) देखिए]

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(जिला और संघ राज्यक्षेत्र का नाम)

महोदय,

मैं एतद्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्धियों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक स्वःघोषणा और ..... (विद्यालय का नाम) को ..... वर्ष 20..... विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्ररूप में एक आवेदन अग्रेषित करता हूँ।

अनुलग्नक :

भवदीय,

स्थान :

तारीख :



क. विद्यालय के बारे	
1.	विद्यालय का नाम
2.	शैक्षिक सत्र
3.	जिला
4.	डाक का पता
5.	ग्राम/नगर
6.	तहसील
7.	पिन कोड
8.	फोन नं. एसटीडी कोड सहित
9.	फैक्स नं.
10.	ई-मेल पता, यदि कोई हो
11.	निकटतम पुलिस थाना

ख. साधारण सूचना				
1.	स्थापना का वर्ष			
2.	पहली बार विद्यालय खोलने की तारीख			
3.	न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का नाम			
4.	क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति रजिस्ट्रीकृत है			
5.	वह अवधि, जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है			
6.	क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति के गैर-स्वामित्व प्रकृति का कोई सबूत है, जो शपथ-पत्र पर सदस्यों के पतों सहित उनकी सूची द्वारा समर्थित हो			
7.	विद्यालय के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम और शासकीय पता			
	नाम			
	पदनाम			
	पता			
	फोन			
	(कार्या) .....			
	(नि०) .....			
8.	पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल आय और व्यय आधिक्य/कमी			
	वर्ष	आय	व्यय	आधिक्य/कमी

ग. विद्यालय का स्वरूप और क्षेत्र	
1.	शिक्षा का माध्यम
2.	विद्यालय की किस्म (प्रवेश और अंतिम कक्षाएं विनिर्दिष्ट करें)
3.	यदि सहायता प्राप्त है तो अभिकरण का नाम और सहायता का प्रतिशत
4.	यदि विद्यालय मान्यताप्राप्त है
5.	यदि हां, तो किस प्राधिकारी द्वारा <ul style="list-style-type: none"> <li>मान्यता संख्यांक</li> </ul>
6.	क्या विद्यालय का अपना स्वयं का भवन है या वह किसी के भवन में कार्य कर रहा है

7.	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

## घ. नामांकन प्रास्थिति

	कक्षा	सेक्शनों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	पूर्व-प्राथमिक		
2.	1 से 5		
3.	6 से 8		

## ड. अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता संबंधी दशाएं

	कक्ष	संख्या	औसत आकार
1.	कक्षा		
2.	कार्यालय कक्ष-सह-भंडार कक्ष-सह-प्राध्यापक कक्ष		
3.	रसोई-सह-भंडार		

## च. अन्य प्रसुविधाएं

1.	क्या सभी प्रसुविधाओं तक बाधारहित पहुंच प्राप्त है	
2.	अध्यापन पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	खेलकूद और क्रीड़ा उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा <ul style="list-style-type: none"> <li>• पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या)</li> <li>• पत्रिकाएं/समाचार-पत्र</li> </ul>	
5.	पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या	
6.	स्वच्छता संबंधी दशाएं	
	(i) डब्ल्यू सी और मूत्रालयों की किस्म	
	(ii) बालकों के लिए पृथक् मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	
	(ii) बालिकाओं के लिए पृथक् मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	

## छ. अध्यापन कर्मचारिवृंद की विशिष्टियां

1.			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2.	प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के ब्यौरे पृथक् रूप से)		

अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
<b>3. प्रधान अध्यापक</b>		
अध्यापक का नाम (1)	पिता/पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

ज. पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम		
1.	प्रत्येक कक्षा में अपनाई गई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के ब्यौरे (कक्षा VIII तक)	
2.	विद्यार्थियों के निर्धारण की पद्धति	
3.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?	

(झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस डाटा कैपचर प्ररूप में भी सूचना प्रस्तुत की है।

(ञ) प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबंध करता है कि वह ऐसी रिपोर्टें और सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा, जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

(ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करेगा, जो केंद्रीय सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति, संसद/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

ह./-

अध्यक्ष/प्रबंधक,  
प्रबंध समिति  
..... विद्यालय

स्थान :

## प्ररुप 2

ग्राम :  
ई-मेल :

फोन :  
फैक्स :

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय  
(जिला/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)

संख्यांक

तारीख :

प्रबंधक,

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख ..... के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं ..... (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख ..... से तारीख ..... तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ..... से कक्षा ..... तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के ..... प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
  - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ;
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा ;

- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ;
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ; और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल  
कुल निर्मित क्षेत्र  
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल  
कक्षाओं की संख्या  
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष  
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय  
पेयजल सुविधा  
मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई  
बाधारहित पहुंच  
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रकृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक ..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. सलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2010

**G.S.R. 301(E).**—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

**1. Short title and commencement.**- (1) These Rules may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

### PART I - PRELIMINARY

**2. Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires. -

- (a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);
- (b) "anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Services Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;
- (c) "appointed date" means the date on which the Act comes into force, as notified in the Official Gazette;
- (d) "appropriate Government", unless otherwise specified, means Government of a Union territory (without State Legislature);
- (e) "District Education Officer" means an Officer of the appropriate Government in charge for elementary education in a district;
- (f) "pupil cumulative record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;
- (g) "school mapping" means planning school location for the purpose of section 6 of the Act to overcome social barriers and geographical distance.

(2) All references to "forms" in these rules shall be construed as references to forms set out in Appendix I hereto.

(3) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

## PART II - SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

### 3 Composition and functions of the School Management Committee.- (1)

A School Management Committee (hereinafter in this rule referred to as the said Committee) shall be constituted in every school, other than an unaided school, within six months of the appointed date, and reconstituted every two years.

(2) Seventy five percent, of the strength of the said Committee shall be from amongst parents or guardians of children.

(3) The remaining twenty five percent, of the strength of the said Committee shall be from amongst the following persons, namely :-

- (a) one third members from amongst the elected members of the local authority, to be decided by the local authority;
- (b) one third members from amongst teachers from the school, to be decided by the teachers of the school;
- (c) one third members from amongst local educationists or children in the school, to be decided by the parents in the said Committee.

(4) To manage its affairs, the said Committee shall elect a chairperson and vice-chairperson from among the parent members; the head teacher of the school, or where the school does not have a head teacher, the senior most teacher of the school, shall be the ex-officio member-convener of the said Committee.

(5) The said Committee shall meet at least once a month, and the minutes and decisions of the meetings shall be properly recorded and made available to the public.

(6) The said Committee shall, in addition to the functions specified in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 21, perform the following functions, namely :

- (a) communicate in simple and creative ways to the population in the neighbourhood of the school, the rights of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the appropriate Government, local authority, school, parent and guardian;
- (b) ensure the implementation of clauses (a) and (e) of section 24, and of section 28,
- (c) monitor that teachers are not burdened with non academic duties other than those specified in section 27;
- (d) ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighbourhood in the school;
- (e) monitor the maintenance of the norms and standards specified in the Schedule;

- (f) bring to the notice of the local authority any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per sub-section (2) of section 3;
- (g) identify the needs, prepare a plan, and monitor the implementation of the provisions of Section 4;
- (h) monitor the identification and enrolment of, and facilities for education of children with disability, and ensure their participation in, and completion of elementary education;
- (i) monitor the implementation of the mid-day meal in the school;
- (j) prepare an annual account of receipts and expenditure of the school.

(7) Any money received by the said Committee for the discharge of its functions under this Act, shall be kept in a separate account, to be audited annually.

(8) The accounts referred to in clause (j) to sub-rule (6) and in sub-rule (7) should be signed by the chairperson or vice-chairperson and convenor of the said Committee and made available to the local authority within one month of their preparation.

**4 Preparation of School Development Plan.-** (1) The School Management Committee shall prepare a School Development Plan at least three months before the end of the financial year in which it is first constituted under the Act.

(2) The School Development Plan shall be a three year plan comprising three annual sub plans.

(3) The School Development Plan, shall contain the following details, namely: -

- (a) estimates of class-wise enrolment for each year;
- (b) requirement of the number of additional teachers, including Head Teachers, subject teachers and part time instructors, separately for Classes I to V and for classes VI to VIII, calculated with reference to the norms specified in the Schedule;
- (c) physical requirement of additional infrastructure and equipments, calculated with reference to the norms and standards specified in the Schedule;
- (d) financial requirement in respect of (b) and (c) above, including for providing special training facility specified in section 4, entitlements of



children such as free text books and uniforms, and any other additional requirement for fulfilling the responsibilities of the school under the Act.

(4) The School Development Plan shall be signed by the chairperson or vice-chairperson and convener of the School Management Committee and submitted to the local authority before the end of the financial year in which it is prepared.

### PART III – RIGHT TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

**5 Special Training.-** (1) The School Management Committee of a school owned and managed by the appropriate Government or local authority shall identify children requiring special training and organise such training in the following manner, namely: -

- (a) the special training shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the academic authority specified in sub-section (1) of section 29;
- (b) the said training shall be provided in classes held on the premises of the school, or in classes organised in safe residential facilities;
- (c) the said training shall be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for the purpose;
- (d) the duration of the said training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress, for a maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon induction into the age appropriate class, after special training, continue to receive special attention by the teacher to enable him to successfully integrate with the rest of the class, academically and emotionally

### PART IV – DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CENTRAL GOVERNMENT, APPROPRIATE GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY

**6. Area or limits of neighbourhood.-** (1) The area or limits of neighbourhood within which a school has to be established by the appropriate Government or the local authority shall be,

- (a) in respect of children in classes from I to V, a school shall be established within a walking distance of one km of the neighbourhood;
- (b) in respect of children in classes from VI to VIII, a school shall be established within a walking distance of three km of the neighbourhood;

(2) Wherever required, the appropriate Government or the local authority shall upgrade existing schools with classes from I to V to include classes from VI to VIII and in respect of schools which start from class VI onwards, the appropriate Government or the local authority shall endeavour to add classes from I to V, wherever required.

(3) In places with difficult terrain, risk of landslides, floods, lack of roads and in general, danger for young children in the approach from their homes to the school, the appropriate Government or the local authority shall locate the school in such a manner as to avoid such dangers, by reducing the area or limits specified under sub-rule (1).

(4) For children from small hamlets, as identified by the appropriate Government or the local authority, where no school exists within the area or limits of neighbourhood specified under sub-rule (1), the appropriate Government or the local authority shall make adequate arrangements, such as free transportation and residential facilities, for providing elementary education in a school, in relaxation of the area or limits specified in the said rule.

(5) In places with high population density, the appropriate Government or the local authority may consider establishment of more than one neighbourhood school having regard to the number of children in the age group of 6-14 years in such places.

(6) The local authority shall identify the neighbourhood school(s) where children can be admitted and make such information public for each habitation.

(7) In respect of children with disability, which prevent them from accessing the school, the appropriate Government or the local authority shall endeavour to make appropriate and safe transportation arrangements to enable them to attend school and complete elementary education.

(8) The appropriate Government or the local authority shall ensure that access of children to the school is not hindered on account of social and cultural factors.

**7. Financial Responsibility of the Central Government.-** (1) The Central Government shall prepare annual estimates of capital and recurring expenditure for carrying out the provisions of the Act, for a period of five years, within one month of the appointed date, which may be reviewed for every three years.

(2) In order to implement the provisions of the Act, the Central Government shall, within a period of six months of the appointed date, ensure that its programmes for elementary education are in conformity with the provisions of the Act.

(3) The Central Government shall, within a period of six months from the appointed date, hold consultation with the State Governments and determine the percentage of expenditure which it shall provide to the State Governments as grants-in-aid of revenues for implementation of the Act.

(4) Within one month of the appointed date, the Central Government shall cause a reference to be made to the Finance Commission, and cause similar references to be made every time the estimates are revised:

Provided that in case there is no Finance Commission in existence at the time of a particular reference, the Central Government may set up an alternative mechanism for the purpose of providing resources to the State Governments.

**8. Academic responsibility of the Central Government.-** (1) The Central Government shall notify an academic authority within one month of the appointed date for development of the framework of national curriculum.

(2) The Central Government shall, in consultation with the State Governments, and such other academic authorities it may consider necessary, prepare a Scheme(s) for enabling the State Governments and Union Territories to provide pre-service and in-service training of teachers in respect of schools specified in sub-clauses (i) to (iii) of clause (n) of section 2 of the Act, including a monitoring mechanism in accordance with the standards of training.

**9. Responsibilities of the appropriate Government and local authority.-**

(1) A child attending a school of the appropriate Government or local authority referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, a child attending a school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 in accordance with clause (b) of sub-section (1) of section 12, and a child attending a school referred to in sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall be entitled to free education as provided for in sub-section (2) of section 3 of the Act, and in particular to free text books, writing materials and uniforms:

Provided that a child with disability shall be entitled also for free special learning and support material.

*Explanation :* For the purposes of sub-rule (1), it may be stated that in respect of the child admitted in accordance with clause (b) of sub-section (1) of section 12 and a child admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12, the responsibility of providing the free entitlement shall be of the school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and of sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2, respectively.

(2) For the purpose of determining and for establishing neighbourhood schools, the appropriate government or the local authority shall undertake school mapping, and identify all children, including children in remote areas, children with disability, children belonging to disadvantaged group, children belonging to weaker section and children referred to in section 4, within a period of one year from the appointed date, and every year thereafter.

(3) The appropriate Government or the local authority shall ensure that no child is subjected to caste, class, religious or gender abuse in the school.

(4) For the purposes of clause (c) of section 8 and clause (c) of section 9, the appropriate Government and the local authority shall ensure that a child belonging to a weaker section and a child belonging to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of common drinking water and toilet facilities, and in the cleaning of toilets or classrooms.

**10. Maintenance of records of children by the local authority.-** (1) The local authority shall maintain a record of all children in its jurisdiction, through a household survey, from their birth till they attain the age of 14 years.

(2) The record, referred to in sub-rule (1), shall be updated annually.

(3) The record, referred to in the said sub-rule, shall be maintained transparently, in the public domain, and used for the purposes of clause (e) of section 9

(4) The record, referred to in the said sub-rule shall, in respect of every child, include

- (a) name, sex, date of birth, place of birth;
- (b) name, address, occupation of parent or guardian;
- (c) pre-primary school/anganwadi centre that the child attends (upto age 6);
- (d) elementary school where the child is admitted;
- (e) present address of the child;
- (f) class in which the child is studying (for children between the age of 6 to 14), and if education is discontinued in the territorial jurisdiction of the local authority, the cause of such discontinuance;
- (g) whether the child belongs to the weaker section;
- (h) whether the child belongs to a disadvantaged group;
- (i) whether the child requires special facilities or residential facilities on account of (i) migration and sparse population; (ii) age appropriate admission; and (iii) disability.

(5) The local authority shall ensure that the names of children enrolled in the schools are publicly displayed in each school.

#### **PART V – RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS**

**11. Admission of children belonging to weaker section and disadvantaged group.-** (1) The school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be segregated from the other children in the classrooms nor shall their classes be held at places and timings different from the classes held for the other children.

(2) The school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to entitlements and facilities such as text books, uniforms, library and Information, Communication and Technology (ICT) facilities, extra-curricular and sports.

(3) The area or limits of neighbourhood specified in sub-rule (1) of rule 6 shall apply to admissions made in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12:

Provided that the school may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 12, extend these area or limits with the prior approval of the appropriate Government.

**12. Reimbursement of per-child-expenditure by the appropriate Government.-** (1) The total annual recurring expenditure incurred by the appropriate Government, from its own funds, and funds provided by the Central Government and by any other authority, on elementary education in respect of all schools referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, divided by the total number of children enrolled in all such schools, shall be the per-child-expenditure incurred by the appropriate Government.

*Explanation.* - For the purpose of determining the per-child-expenditure, the expenditure incurred by the appropriate Government or local authority on schools referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and the children enrolled in such schools shall not be included.

(2) Every school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall maintain a separate bank account in respect of the amount received by it as reimbursement under sub-section (2) of section 12.

**13. Documents as age proof.-** Wherever a birth certificate under the Births, Deaths and Marriages Certification Act, 1886 (6 of 1886) is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in schools –

- (a) hospital or Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record;
- (b) *anganwadi* record;
- (c) declaration of the age of the child by the parent or guardian;

**14. Extended period for admission.-** (1) Extended period of admission shall be six months from the date of commencement of the academic year of a school.

(2) Where a child is admitted in a school after the extended period, he shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head teacher of the school.

**15. Recognition to school.** (1) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government, appropriate Government or the local authority, established before the commencement of this Act shall make a self declaration within a period of three months of the commencement of the Act, in Form No. 1 to the concerned District Education Officer regarding its compliance or

otherwise with the norms and standards specified in the Schedule and fulfillment of the following conditions, namely :-

- (a) the school is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force;
  - (b) the school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;
  - (c) the school conforms to the values enshrined in the Constitution;
  - (d) the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development;
  - (e) the school is open to inspection by any officer authorised by the appropriate Government or the local authority;
  - (f) the school furnishes such reports and such information as may be required from time to time and complies with such instructions of the appropriate Government or the local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;
- (2) Every self declaration received in Form 1 shall be placed by the District Education Officer in public domain within fifteen days of its receipt.
- (3) The District Education Officer shall, within three months of the receipt of the self declaration, cause on-site inspection of such schools which claim in Form No. 1 to fulfill the norms and standards and the conditions mentioned in sub-rule (1).
- (4) After the inspection referred to in sub-rule (3) is carried out, the inspection report shall be placed by the District Education Officer in public domain and schools found to be conforming to the norms, standards and the conditions shall be granted recognition by the District Education Officer in Form No. 2 within a period of fifteen days from the date of inspection.
- (5) Schools that do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) shall be listed by the District Education Officer through a public order to this effect; such schools may request the District Education Officer for an on-site inspection for grant of recognition at any time within the next two and a half years, so that such period does not exceed three years from the commencement of the Act;
- (6) Schools which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) within three years from the commencement of the Act, shall cease to function.
- (7) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government, appropriate Government or local authority, established after the commencement of this Act shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) in order to qualify for recognition under this rule.

**16. Withdrawal of recognition to school.-** (1) Where the District Education Officer (hereinafter in this rule referred to as the said Officer) on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognised under rule 15, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfill the norms and standards specified in the Schedule, the District Education Officer shall act in the following manner,-

- (a) issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within one month.
- (b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the said Officer may cause an inspection of the school, to be conducted by a Committee of three to five members comprising of educationists, civil society representatives, media, and government representatives, which shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal, to the said Officer.
- (c) on receipt of the report and recommendations of the Committee, the said Officer may pass order for withdrawal of recognition:

Provided that no order for withdrawal of recognition shall be passed by the said Officer without giving the school adequate opportunity of being heard.

Provided further that no such order shall be passed by the said Officer without prior approval of the appropriate Government.

(2) The order of withdrawal of recognition passed by the said Officer shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of that school shall be admitted.

## PART VI—TEACHERS

**17. Minimum qualifications.-** (1) The Central Government shall, within one month of the appointed date, notify an academic authority for laying down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher.

(2) The academic authority notified under sub-rule (1), shall, within three months of such notification, lay down the minimum qualifications for persons to be eligible for appointment as a teacher in an elementary school.

(3) The minimum qualifications laid down by the academic authority referred to in sub-rule (1) shall be applicable for every school referred to in clause (n) of section 2.

**18. Relaxation of minimum qualifications.-** (1) The State Government and the Union territory shall, within six months from the commencement of the Act, estimate the teacher requirement as per the norms in the Schedule for all schools referred to in clause (n) of section 2.

(2) Where a State Government or a Union territory does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or persons possessing minimum qualifications as notified in sub-rule (2) of rule 17 are not available in sufficient numbers in relation to the requirement of teachers estimated under sub-rule (1), the State Government or the Union territory shall request, within one year of the

commencement of the Act, the Central Government for relaxation of the prescribed minimum qualification.

(3) On receipt of the request referred to in sub-rule (2), the Central Government shall examine the request of the State Government or the Union territory and may, by notification, relax the minimum qualifications.

(4) The notification referred to in sub-rule (3) shall specify the nature of relaxation and the time period, not exceeding three years, but not beyond five years from the commencement of the Act, within which the teachers appointed under the relaxed conditions acquire the minimum qualifications specified by the academic authority notified under sub-section (1) of section 23.

(5) After six months from the commencement of the Act, no appointment of teacher for any school can be made in respect of any person not possessing the minimum qualifications notified in sub-rule (2) of rule 17, without the notification of relaxation referred to in sub-rule (3).

(6) A person appointed as a teacher within six months of the commencement of the Act, must possess at least the academic qualifications not lower than higher secondary school certificate or equivalent.

**19. Acquiring minimum qualifications.-** (1) The State Government and the Union territory shall provide adequate teacher education facilities to ensure that all teachers in schools referred to in sub-clause (i), and schools owned and managed by the Central Government or the State Government or Union territory or local authority under sub-clause (iii), of clause (n) of section 2, who do not possess the minimum qualifications laid down under sub-rule (2) of rule 17 at the time of commencement of the Act, to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

(2) For a teacher, of a school referred to in sub-clause (ii) and (iv) of clause (n) of section 2, and of a school referred to in sub-clause (iii) of clause (n) of section 2 not owned and managed by the Central Government, State Government or Union Territory or local, who does not possess the minimum qualifications laid down under sub-rule (2) of Rule 17 at the time of commencement of the Act, the management of such school shall enable such teacher to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

**20. Salary and allowances and conditions of service of teachers.-** (1) The Central Government or the appropriate Government or the local authority, as the case may be, shall notify terms and conditions of service and salary and allowances of teachers of schools owned and managed by them in order to create a professional and permanent cadre of teachers.

(2) In particular and without prejudice to sub-rule (1), the terms and conditions of service shall take into account the following, namely : -

- (a) accountability of teachers to the School Management Committee;
- (b) provisions enabling long term stake of teachers in the teaching profession.

(3) The scales of pay and allowances, medical facilities, pension, gratuity, provident fund, and other prescribed benefits of teachers shall be at par for similar qualification, work and experience.



**21. Duties performed by teachers.-** (1) The teacher shall maintain a file containing the pupil cumulative record for every child shall be the basis for awarding the certificate for completion of elementary education.

(2) A teacher, in addition to the functions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, may perform the following duties :

- (a) participation in training programmes;
- (b) participation in curriculum formulation, and development of syllabi, training modules and text book development;

**22. Maintaining pupil-teacher ratio.-** (1) The sanctioned strength of teachers in a school shall be notified by the Central Government, appropriate Government or the local authority, as the case may be, within a period of three months of the appointed date:

Provided that the Central Government, appropriate Government or the local authority, as the case may be, shall, within three months of such notification, redeploy teachers of schools having strength in excess of the sanctioned strength prior to the notification referred to in sub-rule (1).

(2) If any person of the Central Government, appropriate Government or the local authority violates the provisions of sub-section (2) of section 25, he or she shall be personally liable for disciplinary action.

## **PART VII – CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION**

**23. Academic authority.-** (1) The Central Government shall notify an academic authority for the purposes of section 29 within one month of the appointed date.

(2) While laying down the curriculum and evaluation procedure, the academic authority notified under sub-rule (1) shall, -

- (a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and text books and other learning material;
- (b) develop in-service teacher training design; and
- (c) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation.

(3) The academic authority referred to in sub-rule (1) shall design and implement a process of holistic school quality assessment on a regular basis.

**24. Award of certificate.-** (1) The certificate of completion of elementary education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education.

(2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall contain the pupil cumulative record

of the child.

### PART VIII – PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN

**25. Performance of functions by the National Commission for Protection of Child Rights.-** The Central Government shall provide resource support to the National Commission for Protection of Child Rights in performance of its functions under the Act.

**26. Manner of furnishing complaints before the National Commission for Protection of Child Rights.** The National Commission for Protection of Child Rights may set up a child helpline to register complaints regarding violation of rights of the child under the Act, which may be monitored by it through a transparent on-line mechanism.

**27. Performance of functions by the State Commission for Protection of Child Rights.-** (1) An appropriate Government which does not have a State Commission for Protection of Child Rights, may take immediate steps to set up such Commission.

(2) Till such time as the appropriate Government sets up the State Commission for Protection of Child Rights, it shall constitute an interim authority known as the Right to Education Protection Authority (hereinafter in this rule referred to as the REPA) for the purposes of performing the functions specified in sub-section (1) of section 31, within six months of the commencement of Act or the constitution of the State Commission for Protection of Child Rights, whichever is earlier.

(3) The Right to Education Protection Authority (REPA) shall consist of the following, namely –

(a) a chairperson who is a person of high academic repute or has been a High Court Judge or has done outstanding work for promoting the rights of children; and

(b) two members, of whom at least one shall be a woman, from the following areas, from amongst persons of eminence, ability, integrity, standing and experience in –

- (i) education;
- (ii) child health care and child development;
- (iii) juvenile justice or care of neglected or marginalized children or children with disabilities;
- (iv) elimination of child labour or working with children in distress;
- (v) child psychology or sociology; or
- (vi) legal profession.

(4) The National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006 shall, so far as pertains to the terms and conditions, mutatis mutandis apply to chairperson and other members of the REPA.

(5) Immediately after the constitution of the State Commission for Protection of Child Rights, all records and assets of the REPA shall be transferred to it.

(6) In performance of its functions, the State Commission for Protection of Child Rights or the REPA, as the case may be, may also act upon matters referred to it by the State Advisory Council.

(7) The appropriate Government shall provide resource support to the State Commission for Protection of Child Rights or the REPA, as the case may be, in performance of its functions under the Act.

**28. Manner of furnishing complaints before the State Commission for Protection of Child Rights.-** (1) The State Commission for Protection of Child Rights, or the Right to Education Protection Authority (hereinafter in this rule referred to as REPA), as the case may be, may set up a child help line which would register complaints regarding violation of rights of the child under the Act, which may be monitored by it through a transparent on-line mechanism.

**29. Constitution of the National Advisory Council.-** (1) The National Advisory Council (hereinafter in this rule referred to as the Council) shall consist of a Chairperson and fourteen Members.

(2) The Minister of Human Resource Development shall be the ex-officio chairperson of the Council.

(3) Members of the Council shall be appointed by the Central Government from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, as under

- (a) at least three members should be from amongst persons belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and minorities;
- (b) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience of education of children with special needs;
- (c) one member should be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education;
- (d) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education;
- (e) The following shall be ex-officio members of the Council
  - i Secretary, School Education and Literacy
  - ii Director, National Council of Education Research and Training
  - iii Vice Chancellor, National University of Educational Planning and Administration
  - iv Chairperson, National Council of Teacher Education
  - v Chairperson, National Commission of Protection of Child Rights
- (f) One third of all members shall be women.

- (g) Joint Secretary in charge of implementation of the Act will be ex-officio Member Secretary, and secretarial support will be provided by the Department of School Education and Literacy.
- (4) The Council may especially invite representatives of other related Ministries/Departments as required

**30. Functions of the National Advisory Council.-** (1) The National Advisory Council shall function in an advisory capacity.

(2) The National Advisory Council shall perform one or more of the following functions, namely : -

(a) review

(i) norms and standards specified in the Schedule;

(ii) compliance with teacher qualifications and trainings; and

(iii) implementation of section 29;

(b) commission studies and research for the effective implementation of the Act;

(c) coordinate with the State Advisory Councils;

(d) act as an interface between the public and the media and the Central Government in creating awareness, mobilisation, and a positive environment for the implementation of the Act.

(3) The National Advisory Council shall prepare reports relating to the reviews, studies and research undertaken by it and furnish the same to the Central Government.

**31. Constitution of the State Advisory Council.-** (1) The State Advisory Council (hereinafter referred to in this rule as the Council) shall consist of a chairperson and fourteen members.

(2) The Minister in-charge of School Education in the appropriate Government shall be the ex-officio chairperson of the Council.

(3) Members of the Council shall be appointed by the appropriate Government from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, as under

(a) at least three members should be from amongst persons belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and minorities;

(b) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience of education of children with special needs;

(c) one member should be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education;

(d) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education;

- (e) The following shall be ex-officio members of the Council
- i. Secretary in charge of Elementary Education
  - ii. Director State Council of Educational Research and Training/ State Institute of Education
  - iii. Commissioner/Director of Elementary Education
  - iv. Chairperson, State Commission for Protection of Child Rights/ Right to Education Protection Authority
- (f) One third of all members shall be women.
- (g) SPD, SSA shall be ex-officio Member Secretary of the Council
- (4) The Council may especially invite representatives of other related Ministries/Departments as required

[F. No. 1-8/2009-EE 4]

ANITA KAUL, Jt. Secy.

**APPENDIX**

**FORM I**

**SELF DECLARATION CUM APPLICATION  
FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL  
(See sub-rule (1) of rule 15)**

To

The District Education Officer  
(Name of District and Union territory)

Sir,

I forward herewith with a self declaration regarding compliance with the norms and standards specified in the Schedule of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and an application in the prescribed proforma for the grant of recognition to ..... (Name of the school) .....

With effect from the commencement of the school year 20.....

Yours faithfully,

Enclosure :

Place :

Date :

Chairman of Managing  
Committee/Manager

<b>A. School Details</b>	
1.	Name of School
2.	Academic Session
3.	District
4.	Postal Address
5.	Village/City
6.	Tahsil
7.	Pin Code:
8.	Phone No. with STD Code
9.	Fax No.
10.	E-mail address if any
11.	Nearest Police Station

<b>B. General Information</b>				
1.	Year of Foundation			
2.	Date of First Opening of School			
3.	Name of Trust/Society/Managing Committee			
4.	Whether Trust/Society/Managing Committee/ is registered			
5.	Period upto which Registration of Trust/Society/Managing Committee is valid			
6.	Whether there is a proof of non-proprietary character of the Trust/Society/Managing Committee supported by the list of members with their address on an affidavit in copy			
7.	Name official address of the Manager/President/Chairman of the School			
	Name			
	Designation			
	Address			
	Phone			
	(O) .....			
	(R) .....			
8.	Total Income and Expenditure during last 3 years surplus/deficit			
	Year	Income	Expenditure	Surplus/deficit

<b>C. Nature and area of School</b>	
1.	Medium of Instruction
2.	Type of School (Specify entry & exit classes)
3.	If aided, the name of agency and percentage of aid
4.	If School Recognized
5.	If so, by which authority
	• Recognition number
6.	Does the school has its own building or is it

	running in a rented building.	
7.	Whether the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purpose of education and skill development?	
8.	Total area of the school	
9.	Built in area of the school	

**D. Enrollment Status**

	Class	No. of Section	No. of Students
1.	Pre-primary		
2.	I - V		
3.	VI - VIII		

**E. Infrastructure Details & Sanitary Conditions**

	Room	Numbers	Average Size
1.	Classroom		
2.	Office room - cum - Store Room - cum - Headmaster Room		
3.	Kitchen - Cum - Store		

**F. Other Facilities**

1.	Whether all facilities have barrier free access	
2.	Teaching Learning Material (attach list)	
3.	Sports & Play equipments (attach list)	
4.	Facility books in Library • Books (No. of books) • Periodical/Newspapers	
5.	Type and number of drinking water facility	
6.	Sanitary Conditions	
	(i) and Urinals	Type of W.C.
	(ii) Urinals/Lavatories Separately for Boys	Number of
	(iii) Urinals/Lavatories Separately for Girls	Number of

**G. Particulars of Teaching Staff****1. Teaching in Primary/Upper Primary exclusively (details of each teacher separately)**

	Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)
	Academic Qualification (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
	Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

**2. Teaching in Both Elementary and Secondary (details of each teacher separately)**

	Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)
	Academic Qualification (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
	Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

**3. Head Teacher**

	Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)
	Academic Qualification (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
	Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)



<b>H. Curriculum and Syllabus</b>		
1.	Details of curriculum & syllabus followed in each class (upto VIII)	
2.	System of Pupil Assessment.	
3.	Whether pupils of the school are required to take any Board exam upto class 8?	

- (I) Certified that the school has also submitted information in this data capture format of District Information System of Education with this application.
- (J) Certified that the school is open to inspection by any officer authorized by the appropriate authority;
- (K) Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the appropriate authority or the District Education Officer as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;
- (L) Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be open to inspection. by any officer authorized by the District Education Officer or appropriate authority at any time. and the school shall furnish all such information as may be necessary to enable the Central Government or the Local Body or the Administration to discharge its or his obligations to Parliament / Panchayat/Municipal Corporation as the case may be.

Sd./-

Chairman/Manager,  
 Managing Committee  
 .....School

Place

## Form II

Gram :  
E-Mail:

Phone:  
Fax:

**OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER**  
(Name of District / Union Territory)

No.

Dated:

The Manager,

**Sub: Recognition Certificate for the School under sub-rule (4) of rule 15 of Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010 for the purpose of section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.**

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated \_\_\_\_\_ and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for provisional recognition to the \_\_\_\_\_ (name of the school with address) for Class \_\_\_\_ to Class \_\_\_\_ for a period of three years w.e.f. \_\_\_\_ to \_\_\_\_.

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII.
2. The School shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Annexure I) and the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010 (Annexure II).
3. The School shall admit in class I (or in pre-school class, as the case may be), to the extent of % of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
4. For the children referred to in paragraph 3, the School shall be reimbursed in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Act. To receive such reimbursements school shall maintain a separate bank account.
5. The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
6. The School shall not deny admission to any child for lack of age of proof shall adhere to the provisions of section 15 of the Act. The School shall ensure:

- (i) No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school;
  - (ii) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
  - (iii) No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education;
  - (iv) Every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under rule 25
  - (v) Inclusion of Students with disabilities/special needs as per provision of the Act
  - (vi) The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under section 23(1) of the Act. Provided further that the current teachers who, at the commencement of this Act do not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications within a period of 5 years;
  - (vii) The teacher performs its duties specified under section 24(1) of the Act and
  - (viii) The teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.
7. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
  8. The School shall maintain the standards and norms of the school as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-
    - Area of school campus
    - Total built up area
    - Area of play ground
    - No. of class rooms
    - Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storeroom
    - Separate toilet for boys and girls
    - Drinking Water Facility
    - Kitchen for cooking Mid Day Meal
    - Barrier free Access
    - Availability of Teaching Learning Material/Play Sports Equipments/Library
  9. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school.
  10. The school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes education and skill development.
  11. The School is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force;
  12. The School is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;
  13. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts should be sent to the District Education Officer every year.

14. The recognition Code Number allotted to your school is -----.  
This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.
15. The school furnishes such reports and information as may be required by the Director of Education/District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the Appropriate Government/ Local Authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;
16. Renewal of Registration of Society if any, be ensured.
17. Other conditions as per Annexure enclosed.

Yours faithfully,

District Education Officer